नं. जेड-14014/2/2022-जीसी एण्ड पार्लि. (ई-3012014)
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 12.04.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मार्च, 2022 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को मार्च, 2022 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

अर्जुन राणा
(अर्जुन राणा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।

17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।

18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।

21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004

22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी),
भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

मार्च , 2022 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार

बजट घोषणाओं में भूमि अभिशासन सुधार पर एक ई-पुस्तिका "सशक्त नागरिक मजबूत भारत"को दिनांक 14.03.2022 को माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास एवं इस्पात), माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) और माननीय राज्य मंत्री (पंचायती राज) की उपस्थिति में माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा जारी किया गया। निदेशों के अनुसार, सचिव, भूमि संसाधन विभाग द्वारा एक लेख- "दूरगामी प्रभाव वाले सुधार" लिखा गया, जो कि दिनांक 18 मार्च, 2022 को इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था (प्रति संलग्न)।

2. मार्च, 2022 माह के दौरान असम, बिहार और लद्दाख राज्यों में राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) का शुभारंभ किया गया।

3. मार्च, 2022 माह के दौरान असम, मिजोरम, नागालैंड और मध्य प्रदेश राज्यों में विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) का शुभारंभ किया गया।

4. सचिव (एलआर) ने दिनांक 22.03.2022 को जल शक्ति अभियान- कैच द रेन (जेएसए-सीटीआर) परआयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्र की अध्यक्षता की और अभियान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तैयारी की समीक्षा की।

5. निर्णय करने में दक्षता को बढ़ाने के बारे में समीक्षा अध्ययन/सर्वेक्षण करने के लिए, विभिन्न महत्वपूर्ण सन्दर्भों का निपटान करने और स्वच्छता हेतु विशेष अभियान के अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा यथा प्रतिनियुक्त भारतीय गुणता परिषद (क्यूसीआई) दल ने दिनांक 07.03.2022 को विभाग का दौरा किया।

6. विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1464.89 करोड़ रुपए व्यय किए हैं जो कि 1484.52 करोड़ रुपए के संशोधित आकलन का 98.68 प्रतिशतहै। यह भी उल्लेख किया जाता है कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1216 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन दिनांक 15.12.2021 को प्राप्त हुआ था। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वयन में अतिसावधानीपूर्वकयोजना बनाने और गहन निगरानी के कारण, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित आकलन के लक्ष्यों को सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया गया।

7. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत अब तक कुल 6382 {(8214 (संस्वीकृत)-1832 (राज्यों को हस्तांतरित)} परियोजनाओं में से 5306 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी तक 4022 परियोजनाओं के एंडलाइन मूल्यांकन प्राप्त हो चुके हैं।

8. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न घटकों की प्रगति (संचयी) की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः

i. 6,11,359 गांवों के भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।
ii. 4884 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।
iii. 1,11,56,031भूकर मानचित्रों/एफएमबी/टिप्पनों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया।
iv. 3,997 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों का भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण पूरा किया गया।
v. 2,516तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना पूरी की गई।

भूमि संसाधन विभाग के सचिव द्वारा लिखित लेख का हिंदी अनुवाद जो इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में 18.03.2022 को प्रकाशित हुआ

दूरगामी प्रभाव वाले सुधार

बजट में भूमि संसाधन प्रबंधन संबंधी उपायों से वृहत्तर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने भूमि संसाधन प्रबंधन की बात की थी। कोई भी सुधार या पहल जो भूमि शासन को मजबूत करती है, अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और सभी क्षेत्रों पर इसका क्रमिक प्रभाव पड़ता है।

इस पर विचार करें: हाल के दिनों में किए गए भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण ने राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के माध्यम से गेहूं और धान की ई-खरीद को सक्षम बनाया है। मंडी प्रशासन के लिए अब खसरा प्रविष्टियों के आधार परप्रत्येक किसान द्वारा बोई गई खाद्यान्न फसल और उत्पादित खाद्यान्न का आकलन करना अत्यंत सुविधाजनक हो गया है। मंडी प्रशासन को अब केवल इतना कार्य करना है कि किसानों के गांव के हिसाब से पृथक पृथक करके उन्हें मंडियों तक पहुंचाने की योजना बनाई जानी है और पहुंचने पर यह जांच करनी है कि प्रत्येक किसान द्वारा मंडी में लाई गई खाद्यान्न की मात्रा, खसरा प्रविष्टि में खाद्यान्न फसलों के साथ मेल खाती है या नहीं। इस संबंध में संतुष्ट होने पर एमएसपी के अनुसार भुगतान प्रत्येक किसान के खाते में जमा किया जाता है।

अधिकांश राज्य अब ई-खरीद के लिए कंप्यूटरीकृत भूमि अभिलेखों का उपयोग करते हैं। जहां एक ओर लेनदेन दक्षता सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती है वहीं इसके अन्य लाभ भी हैं। गांवों में खेती के तहत कुल क्षेत्रफल से संबंधित आंकड़ों के आधार पर मंडियों में किसानों की उपज की आवक की योजना आसानी से बनाई जा सकती है।मंडियों में ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लगना कभी आम नजारा हुआ करता था जो इन दिनों देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार कृषक समुदाय का जीवन सुगम हुआ है और सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है।

इसी तरह राज्यों में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत भुगतानों को कंप्यूटरीकृत भूमि अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है। इसके अलावा,कोई उद्योग स्थापित करने या राजमार्ग या रेलवे लाइन जैसी ढांचागत सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला लें तो राहत और पुनर्वास के लिए सही और अद्यतित कंप्यूटरीकृत भूमि अभिलेख अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

बजट भाषण में भूमि शासन संबंधी तीन पहलें शामिल थीं। यह स्पष्ट है किये पहलें मूलरूप से प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। यह राज्यों में केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने का सबसे अधिक व्यावहारिक तरीका है । प्रौद्योगिकी भौगोलिक, क्षेत्रीय और राज्य नीति संबंधी बाधाओं को दूर करती है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी संगत क्षेत्रों को तैयार करके वांछित स्पिन-ऑफ का लाभउठाने के लिए राष्ट्र को एकीकृत करती है। ये तीन पहलें नागरिकों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगी। आइए हम उनमें से प्रत्येक की जांच करें।

सबसे पहले, विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) को लें। साधारण भाषा में यह किसी भूखंड के लिए आधार जैसी पहचान होती है। प्रत्येक भूखंड को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है और इसलिए एजेंसियां और सेवाएंआधार की तरह, सेवाओं कीप्रदायगी के उद्देश्य सेकिसी किसान या लाभार्थी की पहचान का अधिप्रमाणन करने के लिए देश में कहीं से भी भूमि डाटाबेस का उपयोग कर सकती हैं। इससे भूमि और किसान के बीच संबंध मजबूत और प्रामाणिक होंगे। किसान और व्यक्तिगत भूमि धारक के लिए यह किओस्क और मोबाइल फोन जैसे विभिन्न माध्यमों से अपने अधिकारों से संबंधित जानकारी तक पहुंच को सुगम और सक्षम बनाएगा। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में,बेनामी और भूमि का धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन राज्यों के लिए एक बड़ी चिन्ता का विषय है। आधार के साथ एकीकृत यह

फ्रेमवर्क ऐसे अनियमित और अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाएगा।

दूसरा, राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस)-एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण सॉफ्टवेयर प्रणाली है- जो कि निःसंदेह शहरी संपत्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए एक प्रमुख पहल है। यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जो अचल संपत्तियों और दस्तावेजों के लिए पहले इस्तेमाल की जाने वाली मैनुअल रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया की तुलना में ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण की सुविधा प्रदान करता है। रजिस्ट्रीकरण के लिए आवदेन करने से लेकर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने और ऋणभारग्रस्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आसानी से इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। बैंकों और स्थानीय निकायों जैसे विभिन्न कार्यालयों और संस्थाओं के बार-बार दौरे की अब आवश्यकता नहीं है। स्थानीय निकायों से उपयोगिता बिल और बैंकों से ऋणभारग्रस्तता प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं। रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज के अंतिम निष्पादन के समय ही रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32ए के अनुसार क्रेता और विक्रेता की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होती है। चूंकि प्रक्रियाएं ऑनलाइन होती हैं इसलिए इन संपत्तियों के लेनदेन में उच्च स्तर की पारदर्शिता रखी जाती है जो विवादों और धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेनों को भी कम करती है। इसलिए एनजीडीआरएस अचल संपत्ति के क्रेताओं और विक्रेताओं को लिए एक प्रमुख सुविधा है। यह रजिस्ट्रीकरण में लागत, समय और प्रक्रियाओं में भारी कटौती करता है।

तीसरी पहल, संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत किसी भी भाषा में भूमि अभिलेखों का लिप्यंतरण करना है। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों के क्षेत्र में भाषाई बाधाओं को दूर करना है। वर्तमान में भूमि अभिलेख अधिकांशतः क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। इन भाषाई बाधाओं को दूर करने की जरूरत है ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। महाराष्ट्र के किसी संभावित संपत्ति खरीददार की तमिलनाडु में स्थित भूमि अभिलेखों तक अपनी भाषा में सुविधाजनक रूप से पहुंच होनी चाहिए। यही वह समय है जब भाषाई बाधाओं सहित सभी प्रकार के अवांछित बाधाएं, जो आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक हैं, को दूर किया जाए।

निष्कर्ष के तौर पर, बजट भाषण में, आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भूमि संसाधन प्रबंधन और शासन की संभावित महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया है। इससे इस धारणा को मजबूती मिली है किजब राज्य स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहे होंतब भूमि शासन के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक प्रगतिशील तरीका है। इसने इस बात पर भी जोर दिया है कि सुधारात्मक भूमि शासन पहले नागरिकों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा और वे लाभान्वित होंगे और अर्थव्यवस्था के अन्य कई क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे। भूमि संसाधन प्रबंधन और शासन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी से हुई क्षति के बावजूद जहाज के पेंदी की तरह सही संतुलन और गति प्रदान करेगा। रास्ता कितना आसान होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य भूमि संसाधन पहलों को कितना प्रभावी ढंग से लागू करते हैं।